न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 37 / अपील / 2022 (GCMS No. 2022 / 66)	31.05.2022	28.10.2024

1. श्रीमती केसरबाई पत्नी कालूलाल जाति बैरवा,
   निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
2. सत्यनारायण पुत्र कालूलाल जाति बैरवा,
   निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

—अपीलान्टस

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा,
   निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
2. गंगाराम पुत्र बालाजी जाति बैरवा,
   निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित—

अपीलान्टस की ओर से श्री अशोक वशिष्ठ, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से श्री जितेन्द्र कोठारी, एडवोकेट।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2020 अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवान श्रीमती केसरबाई वगै. बनाम छोटूलाल वगै. से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलांट सं.1 व 2 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से खारिज किया गया है। अपीलांटस द्वारा उक्त आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 37/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/66 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गयी। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस ने एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट तहसीलदार बून्दी के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम मोतीपुरा तहसील बून्दी में स्थित कृषि भूमि ख.सं. 91/164 रकबा 7 बिस्वा, ख.सं. 209/91 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा की खातेदार प्रार्थी सं.1 केसरबाई है। खातेदार प्रार्थी सं.1 के वृद्ध होने से उसका पुत्र प्रार्थी सं.2 सत्यनारायण ही काश्त करता है। झगडालू प्रवृत्ति के रेस्पो.सं. 1 व 2 द्वारा अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकार प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में से करीब 15 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। जिनको अवैध कब्जा हटाने के लिए बार बार कहने पर भी अतिक्रमियों द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। तब प्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्यवाही न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2009(2) पेज 1060 की नजीर सहित अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पर आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य होने पर प्रकरण धारा 183–बी का नहीं बनता है, इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2020 को खारिज कर दिया गया। इस दौरान ही विश्वस्तरीय महामारी कोविड–19 का लोकडाउन लग गया, जिसके कारण राजस्व व अन्य न्यायालय बन्द हो गये थे। उक्त लोकडाउन का असर अप्रेल,2021 तक रहा। उसके बाद पुनः दूसरी लहर का लोकडाउन प्रारम्भ हो गया। इसी दौरान अपीलांट सं.1 केसरबाई जो 77 वर्षीय वृद्ध महिला है, बीमार हो गई। जिसके ईलाज में उसका पुत्र अपीलांट सं.2 भी व्यस्त रहा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। इसके बाद दिनांक 21.03.2022 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय में गई तथा अपने प्रार्थना पत्र की जानकारी ली गई। प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश की नकल प्राप्त होने के बाद ही अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलांट सं.1 के स्वस्थ होने पर दिनांक 30.05.2022 को यह अपील पेश की गई। न्यायहित में उक्त देरी की अवधि उपरोक्त कारणों से कन्डोन किए जाने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। जिसके लिए अलग से दफा 5 भारतीय अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में RRT 2009(2) पेज 1060 एवं RRD 1998 पेज 319 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पो.सं.1, 2 के अवैध कब्जे को हटाकर अपीलांट को कब्जा संभलाये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2020 के विरूद्ध दिनांक 30.05.2022 को 2 वर्ष बाद यह अपील पेश की है जो मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। उक्त 2 वर्ष की अवधि के दौरान कोविड–19 का लोकडाउन लगा रहने से राजस्व न्यायालय व अन्य न्यायालय बन्द रहने तथा अपीलांट के बीमार रहने का अपीलांट द्वारा बताया गया देरी का कारण असत्य है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु 2 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में अपीलांटस द्वारा बताया गया कारण संतोषजनक नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 द्वारा अपीलांटस की ओर से पेश की गई अपील को बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2020 की दिनांक 21.03.2022 को जानकारी होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित करते हुये आदेश की नकल प्राप्त कर दिनांक 30.05.2022 को हस्तगत अपील पेश की गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश स्थापित विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है तथा ऐसे आदेश को निरस्त कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, अपितु ऐसे अवैध आदेश को किसी भी समय न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम मोतीपुरा, तहसील एव जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 91/164 रकबा 07 बिस्वा एवं खसरा सं. 209/91 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा की खातेदार केसरबाई पत्नी कालूलाल कौम बैरवा है। खातेदार द्वारा अपने खाते की कृषि भूमि में करीब 15 बिस्वा भूमि पर रेस्पो.सं.1 व 2 द्वारा अवैध कब्जा लिया जाना अंकित करते हुये

जिला कलक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट तहसीलदार बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को दर्ज रजिस्टर किये बिना ही एडमिशन की स्टेज पर ही दिनांक 02.03.2020 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य होने पर प्रकरण धारा 183–बी का नहीं बनता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं RRT 2009(2) पृष्ठ संख्या 1060 पर उद्हरित न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किये जाने पर प्रकट होता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति क सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों (अतिचारियों) की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी (अतिचारी) जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचिज जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हो, (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए जिसमें कि वह कब्जे में रहा है शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से पचास गुणी तक हो सकेगी। (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिये जाने वाले आवेदन पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोप व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात संक्षिप्त रूप से विहित कालावधि के भीतर की जावेगी।

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि यदि किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के टिनेन्ट की जमीन पर किसी भी जाति के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जाता है तो उक्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के इस प्रावधान के तहत अतिक्रमी को बेदखल करने की संक्षिप्त प्रकिया की कार्यवाही प्रारम्भ करा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने पर भी धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2020 कि "दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य होने से प्रकरण धारा 183–बी का नहीं बनता है" विधिविरूद्ध प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित आदेश को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

परिणामस्वरूप उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2020 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रति प्राप्त होते ही प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2020 को धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रावधानों की पालना में एक माह अवधि में नये सिरे से आदेश पारित करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी